

फर्द अहकाम  
राधेश्याम बनाम रंगलाल यगै०

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

मु०नं० :- 88/2025 T.I.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11/8/25	<p>आज यह पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी से सुनवाई क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का होने से प्राप्त हुई। पत्रावली को दर्ज किया जाकर दिनांक 04.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी फागी</p>	
4/8/25	<p>पत्रावली पेशा वकील शर्मा (उप०) पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 11/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी फागी</p>	
11/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 29/9/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)</p>	
29/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 7/11/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)</p>	
7/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा (उप०) वकील शर्मा उक्त वा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं चलाकर नोट प्रेस कर खारिज किये जाने की निवेदन किया। अतः शर्मा द्वारा किये गये NOT PRESS के आधार पर वा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फाइल नुमांदा होकर दर्ज नं. स कम हो पाखिल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी फागी</p>	<p>Not Press वा. पत्र (जाट) (उ.स.)</p>

राज